

## Haryana Vidhan Sabha

14/16/261

To Refund Amount with Interest

03/08/2023

03/08/2023

\*14/16/261

श्री कुलदीप वत्स(बादली)

सर्वस्व आवास मंत्री

Will the Urban Local Bodies Minister be pleased to state:-

हाऊसिंग बोर्ड एक सरकारी विभाग है, लेकिन इस विभाग ने हजारों सैनिक परिवारों, बीपीएल व गरीब जनता को इतना परेशान कर रखा है कि लोग सड़कों पर उतरने को मजबूर हो रहे हैं। दरअसल हाऊसिंग बोर्ड की लापरवाही का खामियाजा हजारों सैनिक परिवार भुगतने को मजबूर हैं। हाऊसिंग बोर्ड ने वर्ष 2014 में बिना जगह एकायर किये सैनिकों व अर्धसैनिक बल के जवानों के लिए डिफेंस फ्लैट्स स्कीम को लांच कर दिया तथा ड्रा में सफल हुए हजारों सैनिक परिवारों से फ्लैट की कुल कीमत की 25 प्रतिशत राशि एडवांस किश्त के रूप में करोड़ों रु. भरवा लिये। लेकिन नौ वर्ष बाद जगह एकायर नहीं होने के कारण हाऊसिंग बोर्ड द्वारा फरवरी 2023 में इस फ्लैट्स स्कीम को कुल 11 स्थानों पर रद्द कर दिया गया। स्कीम रद्द होने के बावजूद सैनिक परिवारों का पैसा वापिस नहीं किया गया। जबकि स्कीम में फंसे सैनिक परिवार लम्बे समय से अपनी जमा राशि 15 प्रतिशत ब्याज सहीत रिफंड करने की मांग को लेकर संघर्ष कर रहे हैं तथा हाऊसिंग बोर्ड दफ्तरों में ठोकरे खाने को मजबूर हैं। लेकिन हाऊसिंग बोर्ड के आला अधिकारी विभाग मानी हालात खराब होने का तर्क देकर सैनिकों का पैसा रिफंड नहीं कर रहे। जिसके कारण बहुत से आलाटी मजबूरी में अपने फ्लैट्स सरेंडर कर चुके हैं। दरअसल हाऊसिंग बोर्ड ने इस डिफेंस फ्लैट्स स्कीम को पैसा कमाने का जरिया बना लिया। ये उन हजारों सैनिक परिवारों के साथ धोखा है, जिन्होंने हाऊसिंग बोर्ड की नितियों पर विश्वास कर अपनी वर्षों की खून-पसीने की कमाई इस डिफेंस स्कीम में लगाई थी। लेकिन नौ साल बाद उन्हें आशियाना मिलना तो दूर अपनी जमा राशि को वापिस पाने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। रिफंड प्रक्रिया में लगातार देरी से हजारों सैनिक परिवारों में भारी रोर है। एक प्रकार से हाऊसिंग बोर्ड की कार्यप्रणाली पीडित परिवारों की सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर कर रही है। ये सैनिकों व अर्धसैनिक बल के जवानों से जुड़ा बेहद संवेदनशील मामला है। मैं सदन के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि क्या सरकार में इन सैनिक भाइयों की हाऊसिंग बोर्ड में जमा राशि 15 प्रतिशत ब्याज सहीत रिफंड करने की मांग के लिए कोई प्रावधान विचाराधीन है? कृपया कर माननीय मुख्यमंत्री जी सदन के पटल पर विस्तार से बताए।

